न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/84/2018	05–06–2018	29–11–2019

1– मूर्ति देवी पुत्री घीसा पत्नी श्री धर्मपाल जाति गुर्जर।
2– छोटी देवी पुत्री घीसा पुत्री श्री साधुराम जाति गुर्जर।
3– बिमला देवी पुत्री घीसा पत्नी श्री पूर्णय सिंह जाति गुर्जर।
4– गोगा देवी पुत्री घीसा पत्नी श्री वीर सिंह जाति गुर्जर समस्त निवासीयान ग्राम मांजरा रावत, तहसील बानसूर जिला अलवर हाल निवासीयान ग्राम बबाना गुर्जर तहसील व जिला रेवाड़ी, हरियाणा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।
2– गिर्राज प्रसाद पुत्र स्व0 श्री घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मांजरा रावत, तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बानसूर इंतकाल संख्या 173 दिनांक 12.02.1992

उपस्थितः–
01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट्स
02. श्री गणपत सिंह नरूका –वकील रैस्पो0 सं. 2

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 12.02.1992 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 173 वाके ग्राम माजरा रावत तहसील बानसूर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त इंतकाल की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 27.04.2018 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर के यहां दावा करते वक्त हुई। नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गई। आलोच्य इंतकाल दिनांक 12.02.1992 की जानकारी होने की दिनांक 27.04.2018 का समय मुजरा फरमावें। मिन अपीलांट व रैस्पो0 सं. 2 आपस में सगे बहनें व भाई है। अपीलांट को इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया। मृतक घीसा की अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 संतान है, जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी चल अचल सम्पत्ति पर काबिज है। अपीलांट व रेस्पो0 जाति से गुर्जर है। जिन पर हिन्दु लॉ लागू होता है। मृतक घीसा की बाबत वारिस इंतकाल दिनांक 11.10.1991 जिसका मिलान दि0 13.10.1991 को किया गया। कृषि भूमि का विरासत का इंतकाल दर्ज होने पर एवं मिलान के बाद 30 दिवस का समय इंतकाल का फैसला करने का अधिकार ग्राम पंचायत के सरपंच का होता है। यदि उक्त इंतकाल स्वीकार होने के लिए ग्राम पंचायत को जाता तो निश्चित् रूप से मृतक घीसा के समस्त वारिसान की जांच होती तथा सभी के नाम इंतकाल दर्ज व स्वीकार होता। आलोच्य आदेश स्वीकार करने से पूर्व तहसीलदार बानसूर द्वारा ना तो घीसा के विधिक वारिसान की जांच

की गई, ना अपीलांट को कोई नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया। मिन अपीलांट का अपने पिता घीसा की चल–अचल सम्पत्ति में हक व हिस्सा निहित है। रैस्पो0 सं. 2 आलोच्य इंतकाल के अनुसरण में अपीलांट के हक व हिस्से को मारने की नियत से दीगर शक्सों को पिता की आराजीयात् को विक्रय करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं बनाये गये थे, जिस कारण अपील पेश करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र 96 जाप्ता दीवानी पेश कर अपील पेश करने की इजाजत ली जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार बानसूर द्वारा स्वीकार इंतकाल सं0 173 दिनांक 12.02.1992 निरस्त फरमाया जावें तथा तहसीलदार को आदेश दिये जावे कि अपीलांट के नाम उनके पिता का इंतकाल खोला जावें।

विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय इंतकाल सं0 173 दि0 12.02.1992 विधिसम्मत् पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 12.02.1992 के विरूद्ध दिनांक 04.06.2018 को पेश किया। जो करीब 26 वर्ष 4 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल इंतकाल के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय इंतकाल दर्ज करते समय मृतक घीसा के विधिक समस्त वारिसान की जांच नहीं कर केवल रैस्पो0 सं0 2 पुत्र गिर्राज प्रसाद के नाम इंतकाल दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय को मृतक घीसा के समस्त वारिसों की जांच करवानी चाहिए थी। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक घीसा के वारिसान की पूर्ण जांच कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29–11–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29-11-19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)